

प्रेषक,

पूनम कुमारी,  
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-18/06/2025

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक जल-जीवन-हरियाली योजनान्तर्गत मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर के तहत शहरी वानिकी वर्षाकालीन लौह गैबियन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹60.83 लाख (साठ लाख तिरासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹35.63 लाख (पैंतीस लाख तिरेसठ हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक जल-जीवन-हरियाली योजनान्तर्गत मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर के तहत शहरी वानिकी वर्षाकालीन लौह गैबियन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹60.83 लाख (साठ लाख तिरासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹35.63 लाख (पैंतीस लाख तिरेसठ हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-438 दिनांक-22.05.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उपशीर्ष-0111 जल-जीवन-हरियाली, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406011010111 के विषय शीर्ष-0111.02.01-मजदूरी तथा 0111.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।



8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-12 के आलोक में अनुपूरक के माध्यम से राशि उपबंधित होने पर ही यह स्वीकृत्यादेश प्रभावी होगा। अन्यथा यह स्वीकृत्यादेश स्वतः रद्द माना जाएगा।
9. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
10. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
11. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
12. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
14. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
15. संचिका संख्या-138/2025 के पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-30.05.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-17.06.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
16. योजनाओं की समेकित संचिका संख्या-147/2025 के पृष्ठ-08/टि० पर दिनांक-17.06.2025 को अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति एवं संचिका संख्या-138/2025 के पृष्ठ-06/टि० पर दिनांक-18.06.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-138/2025 3069 /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-18/06/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव



## मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर।

शहरी वानिकी लौह गैवियन वृक्षारोपण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु योजनाओं के प्रस्ताव

| क्रम सं० | प्रक्षेत्र का नाम | प्रस्तावित स्थल एवं कार्य          | पौधों की सं० | रकबा है०/कि०मी० | वित्तीय वर्ष 2025-26 | वित्तीय वर्ष 2026-27 | वित्तीय वर्ष 2027-28 | कुल प्राक्कलित राशि रु० में | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 1        | खड़गपुर           | हरि सिंह महाविद्यालय हवेली खड़गपुर | 500          | 0               | 1054415              | 363559               | 377567               | 1795541                     |           |
| 2        |                   | अनुमंडल कार्यालय तारापुर           | 500          | 0               | 1045376              | 363559               | 377567               | 1786502                     |           |
| 3        | लखीसराय           | बरियारपुर घोघी कोड़ासी पथ          | 400          | 1 कि०मी०        | 836301               | 290847               | 302054               | 1429202                     |           |
| 4        |                   | +2 उच्च विद्यालय खुटहा खेल मैदान   | 300          | 0               | 627226               | 218135               | 226540               | 1071901                     |           |
| कुल      |                   |                                    | 1700         |                 | 3563318              | 1236100              | 1283728              | 6083146                     |           |

नोट:- वनों के क्षेत्र प्रशासिकाओं के स्थान निर्धारण एवं विवेक से निर्धारित है।

नोट:- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के स्थल निरीक्षण एवं दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर वर्णित स्थल वनरोपण कार्य हेतु उपर्युक्त है एवं विगत 10 (दस) वर्षों में वनरोपण कार्य नहीं किया गया है।

T.S. Granted for ₹60,83,146/- (Rs Sixty lakhs eighty three -

Conservator of Forest  
Wildlife Circle, Patna

- thousand one hundred -  
- forty six / only

30/04/25  
वन प्रमंडल पदाधिकारी  
मुंगेर वन प्रमंडल मुंगेर

T.A. Granted for Rs. 60,83,146/- Only.

And  
8/5/25  
Director

Ecology & Environment, Patna